बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

प्रेस विज्ञप्ति

भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग) के द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या 05/2022 (विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी), विज्ञापन संख्या 06/2022 (विशेष सर्वेक्षण कानूनगो), विज्ञापन संख्या 07/2022 (विशेष सर्वेक्षण अमीन) एवं विज्ञापन संख्या 08/2022 (विशेष सर्वेक्षण लिपिक) के पदों पर Online आवेदन की अंतिम तिथि 16.11.2022 के अपराह्न 11:59 बजे तक निर्धारित थी, जिसे 22.11.2022 के अपराह्न 11:59 बजे तक विस्तारित की गई।

उपरोक्त वर्णित विज्ञापन में अंकित है कि आवेदन की तिथि समाप्त होने के पश्चात् अंतिम भूल सुधार हेतु चार दिनों का एक Rectification Window Open किया जाएगा। उसी क्रम विभागीय वेबसाईट **https://state.bihar.gov.in/lrc** पर दिनांक 26.11.2022 से एक Rectification Window Open होगा, जो 04.12.2022 के अपराह्न 11:59 बजे तक कार्यशील रहेगा। इसमें पूर्व समर्पित Application Form में सुधार करने का अंतिम अवसर होगा। यह Rectification Window केवल उन्ही आवेदकों के लिए Open होगा जिन्होंने Application Form समर्पित करने की निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय तक Application Form Final Submit कर दिया हो। Rectification Window में आवेदक निम्न तथ्यों को सुनिश्चित कर पूर्ण आश्वस्त हो लें कि :–

1. आवेदक का नाम, पिता/माता का नाम एवं जन्म तिथि मैट्रिक प्रमाण–पत्र के अनुरूप अंकित हो।
2. सभी शैक्षणिक योग्यता, जाति, आवासीय एवं अनुभव संबंधी प्रमाण–पत्र सही ढंग से अपलोड हो।
3. विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम शैक्षणिक प्रमाण–पत्र में अंकित नाम के अनुसार स्पष्ट रूप से हु–ब–हु अंकित किया गया हो तथा प्रमाण–पत्र/अंक पत्र में अंकित अंक (प्राप्तांक तथा कुल अंक) सही–सही अंकित किया गया हो।
4. CGPA की गणना प्रतिशत में सही–सही किया गया हो तथा CGPA से प्रतिशत में बदलने की गणना महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के Formula के अनुरूप किया गया हो। जिसका प्रमाण–पत्र/साक्ष्य आवेदक को काउंसिलिंग के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है। गणना में किसी भी प्रकार की त्रुटि/भिन्नता पाये जाने तथा गणना संबंधी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के Formula का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।
5. निवास प्रमाण–पत्र सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत हो तथा प्रमाण–पत्र की संख्या सही अंकित हो।
6. आरक्षण संबंधी कोटि सही–सही अंकित हो एवं अंकित कोटि के अनुरूप ही आरक्षण संबंधी प्रमाण–पत्र अपलोड किए गए हो। गैर क्रिमीलेयर आरक्षण के दावा की स्थिति में गैर क्रिमीलेयर संबंधी आरक्षण प्रमाण–पत्र सक्षम प्राधिकार से निर्गत हो तथा प्रमाण–पत्र की संख्या सही अंकित हो।
7. दिव्यांग आरक्षण के दावा की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा 40% से अधिक दिव्यांगता का प्रमाण–पत्र निर्गत किया गया हो।
8. स्वतंत्रता सेनानी के नाती/नतिनी/पोता/पोती के आरक्षण के दावा की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रमाण–पत्र निर्गत किया गया हो।
9. अनुभव का दावा करने वाले अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि उनके द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण–पत्र में अंकित तथ्य सही हो एवं अनुभव प्रमाण पत्र के साथ छः माह का वेतन पूर्जा एवं बैंक स्टेटमेंट सही ढंग से अपलोड किये गये हो। गलत तथ्य अंकित होने एवं अनुभव का दावा संबंधी दस्तावेज सही ढंग से अपलोड नहीं होने की स्थिति में अनुभव के अंक के संबंध में आवेदक का कोई दावा मान्य नही होगा।
10. ई–मेल एवं मोबाईल न० सही एवं Active हो। आवेदक को भविष्य में इन्ही माध्यमों से सूचना प्रेषित की जाएगी।
11. गलत ई–मेल एवं मोबाईल न० अंकित होने की स्थिति में आवेदक को नियोजन संबंधी सूचना प्राप्त नहीं होने की जिम्मेवारी विभाग की नहीं होगी।
12. फोटो एवं हस्ताक्षर सही प्रकार से अपलोड हो एवं स्पष्ट visible हो।
13. अपलोड किए गए सभी दस्तावेज सही–सही एवं स्पष्ट पठनीय हो। पठनीय नही होने की स्थिति में आवेदक का आवेदन रद्द कर दिया जाएगा।

स्पष्ट किया जाता है कि Rectification Window केवल भूल सुधार के उद्देश्य से होगा। Rectification Window के अवधि में नये आवेदक आवेदन नहीं कर सकेंगे। Rectification Window Close होने के पश्चात् भविष्य में किसी भी परिस्थिति में Application Form में सुधार/Edit का अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा। आवेदक द्वारा Rectification Window में अंतिम रूप से समर्पित आवेदन ही मान्य होगा।

कॉउंसलिंग के समय आवेदक द्वारा अंतिम रूप से समर्पित आवेदन में अंकित तथ्यों के अतिरिक्त अन्य कोई भी नया तथ्य मान्य नहीं होगा न ही तथ्यों में संशोधन के किसी दावे पर विचार किया जाएगा और न ही आवेदन के साथ समर्पित दस्तावेजों के इतर कोई अन्य दस्तावेज मान्य/स्वीकार होगा। आवेदक द्वारा दिए सूचनाओं में किसी भी प्रकार की भिन्नता/असत्यता पाये जाने पर उनकी उम्मीदवारी/आवेदन को रद्द कर दिया जायेगा एवं इस संबंध में विभाग का फैसला/निर्णय अंतिम होगा।

विस्तृत जानकारी state.bihar.gov.in/prdbihar पर देखी जा सकती है।

(जय सिंह)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

PR- 10985 (Revenue) 2022-23

बिहार में शराब का व्यापार, बिक्री एवं सेवन अवैध है।

Scanned with CamScanner